छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
— — 0 — —

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04/05/2022

कमांक एफ 1–27/2021/38–1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 19.06.2021 को **सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)** के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (**अर्थशास्त्र**) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/– तथा समय–समय पर देय महगांई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख खाना–5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:–

स. क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
1	05	श्री युगेन्द्र कुमार साहू, पता– बालक हाई स्कूल रोड, वार्ड नं. 4, बेमेतरा	OBC	शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा, जिला– बेमेतरा
2	06	श्री मोहित शर्मा, पता–आई–ई–141/142, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बिकानेर, राजस्थान	UR	शासकीय बद्री प्रसाद महाविद्यालय आरंग, जिला– रायपुर
3	10	श्री चन्द्रहास सिंह राजपूत, पता– ग्राम व पोस्ट ऑफिस– झाफल, तहसील– लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.)	UR	शासकीय इंदिरा गांधी महाविद्यालय, पंडरिया, जिला– कबीरधाम
4	11	श्री हेमन्त खरे, पता– मकान नं.590, वार्ड नं. 10, न.पं.–अड़भार, ब्लाक मालखरौदा, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)	SC	शासकीय जे.पी.वर्मा पी.जी. कला/ वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर, जिला–बिलासपुर
5	18	श्री आशिष कुमार यादव, पता–क्वा.नं. सी/1, रेल्वे कॉलोनी, मुनिगुड़ा, जिला– रायगढ़ा (ओड़िशा)	OBC	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल जिला– बस्तर

निरन्तर ––2––

6	32	सुश्री प्रियंका नाग, पता–मकान नं.–52, सुरभी कॉलोनी, आवराभाटा, दंतेवाड़ा, जिला–दंतेवाड़ा	ST	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल जिला– दंतेवाड़ा
7	36	सुश्री अनिसा लकड़ा, पता–ग्राम+पोस्ट घुघरी, घर कमांक–2641, थाना बगीचा, तहसील बगीचा, जिला जशपुर	ST	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला– सरगुजा
8	39	सुश्री आभा रंजना कुजूर, पता–ग्राम ढोयाटोली ढोढीडांड, पोस्ट गिनाबहार, थाना व तह.–कुनकुरी, जिला जशपुर	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय, चांदनी बिहारपुर जिला– सूरजपुर
9	46	सुश्री विनिता केरकेट्टा, पता – W/O अमोश तिर्की, घर कमांक 83, रामनगर, पो. महेवा, वाड्रफनगर, जिला बलरामपुर	ST	शासकीय स्व. श्री महली भगत महाविद्यालय, कुसमी जिला– बलरामपुर

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगीः–

1. उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगाः–
   प्रथम वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
   द्वितीय वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
   तृतीय वर्ष – पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
   परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होगें।
2. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
4. शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी ।

निरन्तर ––3––

6. अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
7. अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें।
8. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेगी।
9. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में WP(S) 1372/2021 प्रीति वैष्णव एवं WP(S) 2443/2021 श्री ज्ञान सिंह विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य तथा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में **अर्थशास्त्र** विषय के संबंध में यदि कोई याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

5/ इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.01.2022 द्वारा निम्नलिखित कॉलम–2 में अंकित अभ्यर्थियों को कॉलम–3 में अंकित महाविद्यालयों में पदस्थ किया गया है, के स्थान पर संशोधन करते हुए कॉलम–4 में अंकित महाविद्यालयों में पदस्थ किया जाता है:–

स. क्र.	नाम एवं पता	पूर्व आदेश में पदस्थापना आदेश दिनांक/स्थल	संशोधित पदस्थापना स्थल
1	2	3	4
01	श्री ईश्वर लाल, क्वाटर नं.–94/2, वार्ड नं.–22, विवेकानंद नगर, राजनांदगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.), पिन–491441	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौण्डीलोहारा, जिला–बालोद

निरन्तर ––4––

6/ कंडिका – 5 के लिए विभागीय आदेश दिनांक 25.01.2022 में दी गई शेष शर्तें यथावत रहेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.ए.निर्मलकर)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. कमांक एफ 1–27/2021/38–1, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 04 /05/2022

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन कमांक **2289/01/चयन/2020/03, दिनांक 26.03.2021 के संदर्भ में**
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
05. समस्त संभागायुक्त ....(छ.ग.),
06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
07. संबंधित समस्त कलेक्टर .... (छ.ग.),
08 संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक, ...(छ.ग.),
09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी ....(छ.ग.),
11. संबंधित समस्त प्राचार्य ....।

आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुसंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे,

12. संबंधित अभ्यर्थी...
13. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग